कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

पत्रांक 4662 /मी0क्षे0/33 दिनांक, अप्रैल, 28- 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत मे0 रेणुसागर पावर कम्पनी को ऐष डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्षो की लीज (21.06.2009 से 20.06.2019 तक के लिये) दी गयी 61.2348 हे0 वनभूमि के लीज का पुनः 10 वर्षो हेतु (दिनांक– 21.06.2019 से 20.06.2029 तक) नवीनीकरण के संबंध में ।

संदर्भः 1– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, एफ0सी0 डिविजन, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड अलीगंज नई दिल्ली की फाईल संख्या–8–05/1993–एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक– 15.07.2021
2–आपका पत्र संख्या– 200/11–सी FP/UP/IND/39403/2019 दिनांक–16.07.2021

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा माँगी गयी वांछित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त के आलोक मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र सं0–2766/रेनुकूट/ 15–31 दिनांक 11.03.2022(छाया प्रति संलग्न है) द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित किया है।

क्र0 सं0	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, एफ0सी0 डिविजन, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड अलीगंज नई दिल्ली की फाईल संख्या–8–05/1993–एफ0सी0(पी0टी01) दिनांक– 15.07.2021 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	The Complete Compliance of conditions stipulated in Ministry's Stage-II/Final approval letter no. 8-05/1993-FC(Pt)dated 23-08-2018 has to be submitted .	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या– एफ0नं0 8–05/1993–एफ0सी0(पी.टी) दिनांक– 23.08.2018 में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभाग मे उपलब्ध कराया गया है जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है ।
2	The State Government shall submit the status of the notification for declaring the area acquired for Compensatory Afforestation as RF/PF along with present status of the Compensatory afforestation to be submitted.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 61.2348 हे0 वन भूमि के सापेक्ष 3.6758 हे0 गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग में तथा 57.559 हे0 गैर वन भूमि कैमूर वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत उपलबध कराया गया है । उपलब्ध कराये गये गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत विज्ञापन कराये जाने की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :–

प्रभाग /रेंज का नाम जहाँ पर गैर वनभूमि उपलब्ध करायी गयी है ।	ग्राम का नाम जहाँ पर गैर वनभूमि उपलब्ध करायी	क्षेत्रफल (हे0 में)	प्रश्नगत गैर वन भूमि को धारा–4/20 में विज्ञापित कराये जाने की अद्यतन स्थिति ।

	गयी है		
1.	3.	4.	5.
कैमूर वन्य जीव प्रभाग / घोरावल रेंज	पुरना	38.2050	संस्थान द्वारा कैमूर वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत (38.2050+ 9.3540)= 57.559 है0 गैर वन भूमि उपलब्ध कराया गया है किन्तु गैर वन भूमि से संबंधित तरमीमी मानचित्र संस्थान द्वारा कैमूर वन्य जीव प्रभाग को उपलब्ध न कराये जाने के कारण उनके द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रस्ताव प्रेषित करना संभव नही हो पा रहा है । तरमीमी मानचित्र उपलब्ध कराने हेतु कैमूर वन्य जीव प्रभाग एवं रेनुकूट वन प्रभाग द्वारा संस्थान को [illegible] पत्रो द्वारा अनुरोध किया गया किन्तु उनके द्वारा अभी तक तरमीमी मानचित्र उपलब्ध नही कराया गया है ।
कैमूर वन्य जीव प्रभाग / घोरावल रेंज	पेढ़.	19.3540	
रेणुकूट वन प्रभाग / जरहा रेंज	अजानी	3.6758	रेनुकूट वन प्रभाग द्वारा धारा-4 में प्रकाशन कराया जा चुका है ।

3	Validity of lease under FCA. 1980 has already expired. Therefore it needs to be ascertained that violation of the Forest Conservation Act. 1980 needs submission.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत लीज की अवधि दिनांक– 20.06.2019 को समाप्त होने के पूर्व ही संस्थान द्वारा प्रस्ताव को भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/IND/39403/2019 अपलोड करते हुए प्रस्ताव की हार्डकापी प्रभाग में दिनांक–14.05.2019 को उपलब्ध कराया गया । उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की जॉच कराने के उपरान्त प्रभाग के पत्र संख्या– 4230/रेनुकूट/15–31 दिनांक– 03.06.2019 द्वारा प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की सेवा में प्रेषित की गयी जिसे मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने भी अपने कार्यालय के पत्रांक– 5488/मी0क्षे0/33 दिनांक– 12.06.2019 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया । इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में संस्थान द्वारा प्रस्ताव स–समय प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गयी है ।

4	Reasons/justification for seeking renewal of forest diversin lease after every 10 years under the Forest Conservation Act. 1980 need submission.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित लीज की स्वीकृति प्रथम बार 10 वर्षो हेतु दिनांक– 21.06.1999 से 20.06.2009 तक के लिए प्रदान की गयी थी जिसके लीज का प्रथम नवीनीकरण भी 10 वर्षो हेतु दिनांक– 21.06.2009 से 20.06.2019 तक के लिए किया गया और पुनः 10 वर्षो हेतु दिनांक– 21.06.2019 से 20.06.2029 तक नवीनीकरण करने के लिए संस्थान द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है ।
5	Vital details regarding the capacity of the Ash Disposal Yard and timeline for utilization of the same up to the brim need submission.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना जिसमें ऐश डिस्पोजल यार्ड की क्षमता एवं उत्सर्जित राख की मात्रा व टाईम लाईन दिया गया है की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है ।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत के संबंध मे प्रेषित उपरोक्त बिन्दु की आख्या एतद् सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सं0– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा) 28/04

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 4669 अ/समदिनांकित

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट को उनके कार्यालय के पत्र सं0–2766/रेनुकूट/15–31 दिनांक 11.03.2022 के क्रम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र ।

पत्रांक: 2766 / रेनुकूट / 15–31 दिनांक, रेनुकूट, मार्च, 11 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय: जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत मे0 रेणुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्षो की लीज (21.06.2009 से 20.06.2019 तक के लिये) दी गयी 61.2348 हे0 वनभूमि के लीज का पुनः 10 वर्षो हेतु (दिनांक– 21.06.2019 से 20.06.2029 तक) नवीनीकरण के संबंध में ।

संदर्भ: 1– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, एफ0सी0 डिविजन, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड अलीगंज नई दिल्ली की फाईल संख्या–8–05 / 1993–एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक– 15.07.2021

2–मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 200 / 11–सी FP/UP/IND/39403/2019 दिनांक–16.07.2021

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा माँगी गयी वांछित सूचना / अभिलेख प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त करते हुए निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0 सं0	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, एफ0सी0 डिविजन, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड अलीगंज नई दिल्ली की फाईल संख्या–8–05 / 1993–एफ0सी0(पी0टी01) दिनांक– 15.07.2021 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	The Complete Compliance of conditions stipulated in Ministry's Stage-II/Final approval letter no. 8-05/1993-FC(Pt)dated 23-08-2018 has to be submitted .	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या– एफ0नं0 8–05 / 1993–एफ0सी0(पी.टी) दिनांक– 23.08.2018 में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभाग में उपलब्ध कराया गया है जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है ।
2	The State Government shall submit the status of the notification for declaring the area acquired for Compensatory Afforestation as RF/PF along with present status of the Compensatory afforestation to be submitted.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 61.2348 हे0 वन भूमि के सापेक्ष 3.[illegible] हे0 गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग में तथा 57.559 हे0 गैर वन भूमि कैमूर वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है । उपलब्ध कराये गये गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत विज्ञापन कराये जाने की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :–

प्रभाग / रेंज का नाम जहाँ पर गैर वनभूमि उपलब्ध करायी गयी है ।	ग्राम का नाम जहाँ पर गैर वनभूमि उपलब्ध करायी गयी है	क्षेत्रफल (हे0 में)	प्रश्नगत गैर वन भूमि को धारा–4 / 20 में विज्ञापित कराये जाने की अद्यतन स्थिति ।
1.	3.	4.	5.
कैमूर वन्य जीव	पुरना	38.2050	संस्थान द्वारा कैमूर

		प्रभाग/धोरावल रेंज			वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत (38.2050+ 9.3540)= 57.559 हे0 गैर वन भूमि उपलब्ध कराया गया है किन्तु गैर वन भूमि से संबंधित तरमीमी मानचित्र संस्थान द्वारा कैमूर वन्य जीव प्रभाग को उपलब्ध न कराये जाने के कारण उनके द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रस्ताव प्रेषित करना संभव नही हो पा रहा है । तरमीमी मानचित्र उपलब्ध कराने हेतु कैमूर वन्य जीव प्रभाग एवं रेनुकूट वन प्रभाग द्वारा संस्थान को विभिन्न पत्रो द्वारा अनुरोध किया गया किन्तु उनके द्वारा अभी तक तरमीमी मानचित्र उपलब्ध नही कराया गया है ।
		कैमूर वन्य जीव प्रभाग/धोरावल रेंज	पेड.	19.3540	
		रेणुकूट वन प्रभाग/जरहा रेंज	अंजानी	3.6758	रेनुकूट वन प्रभाग द्वारा धारा–4 में प्रकाशन कराया जा चुका है ।
3	Validity of lease under FCA. 1980 has already expired. Therefore it needs to be ascertained that violation of the Forest Conservation Act. 1980 needs submission.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत लीज की अवधि दिनांक– 20.06.2019 को समाप्त होने के पूर्व ही संस्थान द्वारा प्रस्ताव को भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/IND/39403/2019 अपलोड करते हुए प्रस्ताव की हार्डकपी प्रभाग में दिनांक–14.05.2019 को उपलब्ध कराया गया । उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की जॉच कराने के उपरान्त प्रभाग के पत्र संख्या– 4230/रेनुकूट/15–31 दिनांक– 03.06.2019 द्वारा प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की सेवा में प्रेषित की गयी जिसे मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने भी अपने कार्यालय के पत्रांक– 5488/मी0क्षे0/33 दिनांक– 12.06.2019 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया ! इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में संस्थान द्वारा प्रस्ताव स–समय प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गयी है ।			
4	Reasons/justification for seeking renewal of forest diversin lease after every 10 years under the Forest Conservation Act. 1980 need submission.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित लीज की स्वीकृति प्रथम बार 10 वर्षो हेतु दिनांक– 21.06.1999 से 20.06.2009 तक के लिए प्रदान की गयी थी जिसके लीज का प्रथम नवीनीकरण भी 10 वर्षो हेतु दिनांक– 21.06.2009 से 20.06.2019 तक के लिए किया गया और पुनः 10 वर्षो हेतु दिनांक– 21.06.2019 से 20.06.2029 तक नवीनीकरण करने के लिए संस्थान द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो भारत			

		सरकार के स्तर पर विचाराधीन है ।
5	Vital details regarding the capacity of the Ash Disposal Yard and timeline for utilization of the same up to the brim need submission.	इस बिन्दु के अनुपालन में संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना जिसमें ऐश डिस्पोजल यार्ड की क्षमता एवं उत्सर्जित राख की मात्रा व टाईम लाईन दिया गया है की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या– अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपिः निम्नलिलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर ।

2–सी0ओ0ओ0 मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट –सोनभद्र ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

4007
33
23-3-22

जनपद–सोनभद्र में रेणुकूट वन प्रभाग द्वारा रेणुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु लीज पर दी गयी 61.2348 हेक्टेयर वनभूमि वन संरक्षण अधिनियम् 1980 के अन्तर्गत प्रदत्त कुल 126.27 हेक्टेयर में से 61.2348 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि के लीज आगामी 10 वर्षो (21.06.2019 से 20.06.2029 तक) के लिये नवीनीकरण के संबंध में।

भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ.नं0 8–05/1993–एफसी (पीटी) दिनांक 23.08.2018 द्वारा जारी अन्तिम स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में निम्नप्रकार है:–

Condition No.	Conditions	Status of Compliance
1.	Legal Status of the diverted forest land shall remain unchanged.	There will be no change in status of diverted forestland as on today and in future as well.
2.	The State Government shall ensure that the non-forest land identified for raising Compensatory Afforestation shall be notified by the State Government as RF under section 4 or P.F under section 20 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act.	In compliance of this condition, user agency has provided 57.5590 ha non-forest land in Village Purna & Pedh of Sonbhadra District (Kaimur Vanya Jeev Prabhag) on 06.10.1995 & 3.6758 ha in village: Anjani & Pindari of Tehsil-Dudhi, Dist. Sonbhadra in Renukoot Forest Divison on 30.05.1998 according to Govt. of India, MoEF, New Delhi letter No. 8-5/93-FC dated 22.02.1999 & U.P. Govt. Order No. 2464/14-2-99-911/1992 dt. 21.06.1999. The non-forest land (3.6758 ha) provided in Renukoot Forest Division has been notified under Section 4 of Indian Forest Act, 1927.
3.	The State Government ensure that the user Agency shall pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.	In compliance of this, user agency provided a certificate of undertaking regarding depositing increased value of NPV in future.
4.	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, if required.	In compliance of this condition, user agency have got Environment Clearance for this project by the Govt. of India, MoEF, New Delhi vide their letter No. J 13012/148/2008-IA II (T) dt. 21.01.2013 (copy attached).
5.	No labour Camp shall be established on the forest land.	In compliance of this condition, it is informed by User Agency that neighter at present there is any labour camp established in this forest land nor will be established in future.

For Hindalco Industries Limited

Authorized Signatory

6.	The State Government ensure that the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuel to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest area.	In compliance of this condition, user agency has provided fuels etc. to labourers & staff in past and will be provided in future too if required.
7.	The State Government ensure that the boundary of the diverted forest land & mining lease shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS-co-ordinates	In compliance of this condition, user agency got demarcated the transferred forestland by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar along with GPS location. This has been certified by concerned Range Officer, Anpara also.
8.	The State Government ensure that the layout plan of the mining plan/proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.	In compliance of this condition, user agency states that no mining work is being done in transferred forest land and only ash generatd by its power plant is being stored. Thus, MMDR Act, 1957 is not applicable. Thus, approval is not required from Govt. of India.
9.	The State Government ensure that thef orest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.	In compliance of this condition, user agency informed that this forestland will be used only for storage of ash generated by its power plant and in future too, this forestland will not be used for other purpose.
10.	The State Government ensure that the forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government.	In compliance of this condition, user agency informed that neither this forestland has been transferred to other agency, department or person and nor in future too this will be transferred.
11.	The State Government ensure that the no damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	In compliance of this condition, user agency informed that no damage will be done to the flora and fauna of the adjoining area.
12.	The State Government ensure that the any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department.	In compliance of this condition, it is to be informed that felling of trees was done with permission of U.P. Van Nigam in 1999 and at present there is no any tree in the said land.

For Hindalco Industries Limited

Authorized Signatory

13.	The State Government ensure that the User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year.	In compliance of this condition, user agency informed that they will send compliance report in the month March each year through to the Govt. of India, MoEF & CC, New Delhi through higher authorities.
14.	The State Government ensure that any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	In compliance of this condition, user agency has provided undertaking that all conditions will be met levied by Govt. of India MoEF & CC.
15.	The State Government enure that the User Agency shall comply all the provisions of all Acts, Rules, Regulations, Guidelines and Hon'ble Court Orders pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	In compliance of this condition, user agency has provided undertaking in connection of this forestland that all Rules, Regulations and directions issued by Hon'ble Court from time to time will be complied with.

For Hindalco Industries Limited

Authorized Signatory